फैसलों का 'खिलाड़ी'

नरेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान

राइट जजमेंट

मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और स्पोर्ट्स मैन स्पीरिट का मुझे जिंदगी भर फायदा मिला। इन गुणों के कारण मुझे वकालत एवं जज के कार्यकाल में सफलता हासिल हुई। बैंडमिंटन के कई राष्ट्रीय मैचों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से तो मैं जज रहा लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक खिलाड़ी छिपा हुआ था। यही कारण था कि मेरा पढ़ाई की बजाय खेल के प्रति ज्यादा झुकाव रहा है। आज भी किसी बच्चे को फालतू घूमते देखता हूं तो उसके पैरेंट्स को यही सलाह देता हूं कि वह उसे खिलाड़ी बनाए ताकि उसका व्यक्तित्व निखर कर आए, उसमें टीम भावना, समर्पण, दृढ़ निश्चय और संघर्ष की भावना विकसित हो। स्पोर्ट्स में रुचि होने के कारण मैंने 14 वर्ष की आयु में बैडमिंटन का रैकेट थाम लिया। पढ़ाई में सामान्य स्टूडेंट था, मगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सबसे आगे। महावीर स्कूल से 12वीं पास करने के बाद महाराजा कॉलेज में बीएससी में प्रवेश लिया, पर बैडमिंटन के लिए कैम्प में इधर-उधर जाना पड़ता था। इसलिए अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और मुझे बीए की ओर रुख करना पड़ा। बीए करने के बाद जोधपुर कॉलेज से लॉ किया। चूंकि पापा पहले वकील बाद में हाइकोर्ट जज थे, इसलिए मैंने भी वकालत शुरू कर दी। हालांकि पैरेन्ट्स इंजीनियर बनाना चाहते थे। वकालत में आने के बाद स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव तो नहीं रह पाया मगर जहां भी पोस्टिंग रही वहां हर खेल का अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच देखने जरूर जाता था।

चौपाटी पर मस्ती और मूवी

एक बार हम स्पोर्ट्स कैम्प के सिलसिले में मुंबई गए, वहां दिनभर प्रेक्टिस के बाद रात को सभी साथी अप्सरा थिएटर में रोजाना फिल्म देखने जाते। शो से लौटते वक्त चौपाटी पर घूमते और चाट-पकौड़ी खाते। माउंट आबू के एक कैम्प के दौरान हम सभने रात में सोए हुए अपने गुरुजी को यूं का यूं सड़क पर लिटा दिया। बाद में वे बहुत नाराज हुए। मगर हमने उन्हें मना लिया। उस समय कोच और खिलाड़ी में अच्छे सम्बंध हुआ करते थे। वे एक दूसरे के मजाक का बुरा नहीं मानते थे।

अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जानें

अपने अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन सिविक ड्यूटीज के प्रति अभी भी लोग अवेयर नहीं है। लोगों को अधिकारों के साथ ड्यूटीज पर भी गंभीर होना चाहिए। आखिर आप किसी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते है तो आपको खुद को भी वैसा ही व्यवहार करना होगा।

टाई के पैसे देने भूल गए

1961 में हम नेशनल खेलने के लिए अमृतसर गए थे। एक दिन शॉपिंग के दौरान वहां टाई टाई कर रहे थे, बातें-बातों में ध्यान नहीं रहा और पैसे दिए बिना टाई पहनकर कैम्प में आ गए। जब कोच को यह जानकारी मिली तो उन्होंने डांटा और पैसे देकर आने के लिए कहा। हम पैसे देने गए तो शॉपकीपर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने हमें अन्य खरीदारी में डिस्काउंट दिया।

महत्वपूर्ण केस

मैंने तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में बतौर हाईकोर्ट जज व चीफ जस्टिस रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। इनमें कुछ केस देश के कई बड़े राजनेताओं से सम्बंधित थे। जैसे सोनिया गांधी के विदेशी मूल का केस, उमा भारती का तिरंगा झंडा प्रकरण, राष्ट्रपति चुनाव में आरक्षण का केस और सुषमा स्वराज, जयललिता, मारग्रेट अल्वा व दयानिधि मारन से सम्बंधित केस है। इसके अलावा मशहूर चंदन तस्कर वीरप्पन और लिट्टे से संबंधित खाशा का केस भी उनके विचाराधीन आया। राजस्थान में एसएमएस स्टेडियम में खेल गतिविधियां, रामनिवास बाग, राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, गंगानगर में स्टूडेंट्स के एग्जाम सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की।

एक लाख केस

बतौर जज मैंने करीब एक लाख मुकदमों पर फैसला सुनाया। किसी केस के फैसले को कभी भी एक सप्ताह से ज्यादा समय के लिए पेंडिंग नहीं रखा। जोधपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पेंशन मेरे ही प्रयासों से शुरू हुई।

प्रोफाइल

- राजस्थान हाइकोर्ट में जज।
- मद्रास हाईकोर्ट व कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस।
- हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के साथ लोकायुक्त का कार्यभार संभाला।
- वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।

■ मुकेश कुमार शर्मा